न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 67/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00010

1. रामकुमार पुत्र श्री उमाराम जाति जाट निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. गोपीराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़।
2. पूर्णराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़।
3. विमला देवी पुत्री उमाराम जाति जाट निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़।
4. नानू पुत्री उमाराम जाति जाट निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री मदन सुरोलिया	अभिभाषक अपीलांट
	श्री महावीर प्रसाद	अभिभाषक अपीलांट
	श्री श्याम सुंदर सुरोलिया	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2
	वली मोहम्मद कादरी	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4

निर्णय

दिनांक 08.07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.08.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट के पिता श्री उमाराम पुत्र कालूराम जाट ने अपनी स्वअर्जित भूमि वाके चक 28–045 आर.डी. के प.नं. 117/9 व 117/27 की कुल 18 बीघा की दिनांक 15.04.2008 को अपीलांट के हक में वसीयत कर दी। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट ने तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष वसीयत के आधार पर उक्त विवादित भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2008 को पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.10.2008 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र को यह लिखते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में वादगत भूमि से संबंधित इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.08.2008 को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खारिज किया जा चुका हैं। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.08.2008 एवं उसके आधार पर दिये गये आदेश दिनांक 15.10.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— . विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि वाके चक 28—045 आर.डी. के प.नं. 117/9 व 117/27 की कुल 18 बीघा अपीलांट के पिता उमाराम की स्वअर्जित भूमि थी, जिसकी अपीलांट के पिता ने अपीलांट के हक में दिनांक 15.04.2008 को वसीयत कर दी। वसीयतकर्ता के देहांत हो जाने पर अपीलांट द्वारा अपने नाम इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2008 को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.10.2008 को यह लिखते हुए खारिज कर दिया कि उक्त भूमि बाबत पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2008 को खारिज किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2008 पारित करते हुए लिखा कि अपीलांट के पिता उमाराम को खातेदारी दिनांक 13.06.2008 को मिली, किन्तु उसने वसीयत दिनांक 15.04.2008 को ही कर दी थी। इसप्रकार उक्त भूमि वसीयत करते समय गैरखातेदारी भूमि थी तथा गैरखातेदारी भूमि की वसीयत करने का वसीयतकर्ता को अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 27.08.2008 गलत एवं अनुचित हैं क्योंकि उक्त निर्णय में पूर्व में प्रस्तुत किये गये जिस प्रार्थना पत्र का हवाला दिया गया है, ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में पहले कभी प्रस्तुत ही नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2008 एवं उसके आधार पर पारित आदेश दिनांक 15.10.2008 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया हैं:—

- आर.आर.डी. 1999 पेज नंबर 339
- आर.आर.डी. 1987 पेज नंबर 593

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री श्यामसुंदर सुरोलिया ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि बाबत की गई वसीयत अपंजीकृत है। वसीयतकर्ता को वादगत भूमि बाबत खातेदारी अधिकार वसीयत करने की तिथि के बाद प्राप्त हुए थे। वसीयत करते समय उक्त वादगत भूमि गैर खातेदारी भूमि थी तथा गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2008 इन्ही सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

पारित है, जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथा उभय पक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2008 पारित करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उक्त वादगत भूमि वसीयत करते समय वसीयतकर्ता के नाम गैर खातेदार दर्ज थी, जो बाद में वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरांत खातेदार दर्ज हो गई थी। अपीलाधीन भूमि वसीयतकर्ता की गैर खातेदार भूमि थी, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर